न्यायालय जिला न्यायाधीश, सहारनपुर ।

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–192 सन 2026

मौ0 तनवीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि

<u>25.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। आवेदक एवं विपक्षी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

आवेदक की ओर से स्थानान्तरण **प्रार्थनापत्र कागज सं0–4ग,** वाद संख्या–2032/2025 उ0प्र0 सरकार बनाम अब्दुल हमीद आदि अन्तर्गत धारा 4 सपठित धारा 5 उ0प्र0सा0भू0 ग्राहिता (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम 1972 की पत्रावली को न्यायालय विहित प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर से किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी संख्या–1 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क किया गया कि प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित वाद विहित प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा आदेश दिनांकित 16.07.2026 के माध्यम से निर्णीत किये जाने के कारण वर्तमान में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निष्प्रयोज्य हो गया है तथा इसी आशय का पृष्ठांकन आदेश–पत्र के हाशिये पर किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक **मौ0 तनवीर अहमद** की ओर से प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निष्प्रयोज्य होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(सतेन्द्र कुमार)

दिनांकः 25.07.2026 **जिला न्यायाधीश,सहारनपुर।**

J.O. CODE- UP 1891